रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)--73

REGISTERED No. D. (D)—73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

[भाग 1]
[No. 1]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2, 1982/पौष 12, 1903
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 2, 1982/PAUSA 12, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1981

सा० का० नि० 1.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,—

(i) इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उन व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करती है जिनके द्वारा सिविल अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में वादों के वादपत्र और लिखित कथन केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध उस सरकार की ओर से आयातित उर्वरकों के सम्बन्ध में कार्य करने के सीमित प्रयोजन के लिए हस्ताक्षरित किए जाएंगे ,

(ii) खण्ड (i) में निर्दिष्ट अधिकारियों को जो मामले के तथ्यों से परिचित हैं, उन व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करती है जिनके द्वारा ऐसे वादपत्र और लिखित कथन सत्यापित किए जाएंगे ।

अनुसूची

भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड

(नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय)

1. संयुक्त प्रबंधक (पत्तन संक्रिया)	मद्रास
2. संयुक्त प्रबंधक (पत्तन संक्रिया),	विजाग
3. संयुक्त प्रबंधक (पत्तन संक्रिया),	मुम्बई
4. संयुक्त प्रबंधक (पत्तन संक्रिया)	मोरमुगाओ
5. संयुक्त प्रबंधक (पत्तन संक्रिया)	कलकत्ता
6. उपप्रबंधक (पत्तन संक्रिया)	मद्रास
7. उपप्रबंधक (पत्तन संक्रिया)	विजाग
8. उपप्रबंधक (पत्तन संक्रिया)	कोचीन
9. उपप्रबंधक (पत्तन संक्रिया)	तूतीकोरिन
10. उपप्रबंधक (पत्तन संक्रिया)	कलकत्ता
11. उपप्रबंधक (साधारण)	अहमदाबाद
12. उपप्रबंधक (साधारण)	कांडला
13. जिला प्रबंधक	पुणे
14 उपप्रबंधक (पत्तन संक्रिया)	मंगलौर

इण्डियन पोटाश लिमिटेड

(मद्रास स्थित मुख्य कार्यालय)

1. वित्त प्रबंधक	मद्रास
2. विपणन प्रबंधक	मद्रास
3. विशेष अधिकारी	नई दिल्ली
4. प्रबंधक (पत्तन संक्रिया)	नई दिल्ली
5. जोन प्रबंधक	मद्रास
6. जोन प्रबंधक	कलकत्ता

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1981

सा० का० नि० 23.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति इसके द्वारा दण्डकारण्य परियोजना (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1968 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम दण्डकारण्य परियोजना (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1981 कहलाएंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. दण्डकारण्य परियोजना (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में 'सहायक प्रभारी अधिकारी (वरिष्ठ)' के पद से संबंधित क्रम सं० 19 के सामने—

(क) कालम 2 में अंक '22' के लिए '12' प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) कालम 10 में वर्तमान प्रवेशक के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : "75 % पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, और 25 % प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ।"

"मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3 (ii) अधिसूचना सं० का० आ० 2514 दिनांक 15-7-1968 पृष्ठ 3376 द्वारा प्रकाशित किए गए। तदुपरान्त भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 (i) पृष्ठ 1225 पर अधिसूचना (1) सं० सा० का० नि० 538 दिनांक 26-4-1975, भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 (i) पृष्ठ 371 अधिसूचना (2) सा० का० नि० 222 दिनांक 14-2-1976, भारत के राजपत्र के भाग-II खण्ड 3 (i) पृष्ठ 2132 अधिसूचना (3) सा० का० नि० 1975 दिनांक 7-8-1976 द्वारा संशोधित किया गया ।"

[संख्या 11(5)/81-प्रशा० III]
सोहन लाल मैदीरत्ता, उप सचिव

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 16th December, 1981

G.S.R 23.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following further to amend the Dandakaranya Project (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Dandakaranya Project (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Dandakaranya Project (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1968, against serial No. 19 relating to the post of 'Assistant' Executive Officer (Senior)',

(a) in column 2 for the figure '22' the figure '12' shall be substituted:

(b) in column 10, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:

"75 percent by promotion failing which by transfer on deputation, and 25 percent by transfer on deputation."

"Principal rules published vide Notification No. S. O 2514 dated 15-7-1968. Gazette of India, Part II Section 3(ii) page 3376 Subsequently amended by Notification (1) No. GSR 538 dated 26-4-1975 Gazette of India Part II Section 3(i), page 1225. Part II Section 3(i) page 371. (3) GSR 1175 dated 7-8-1976 Gazette of India Part II Section 3(i) page 2132".

[No. 11(5)/81-Admn. III]

S. L. MEDIRATTA, Dy. Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1981

सा०का०नि० 24.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रेल (सहायक हिन्दी अधिकारी) भर्ती नियम, 1974 के अधिक्रमण में कृत्याकृत्य को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारतीय रेलों पर सहायक हिन्दी अधिकारी के पदों की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—(1) ये नियम भारतीय रेल (सहायक हिन्दी अधिकारी) भर्ती नियम, 1981 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रयोज्यता :—ये नियम इसके साथ अनुबंधित अनुसूची के कालम 1 में यथाविनिर्दिष्ट भारतीय रेलों पर सहायक हिन्दी अधिकारियों के पदों के लिए लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतन वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. अर्हताएं :—कोई भी व्यक्ति —

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति, जिसका कोई पति/पत्नी जीवित हो, से विवाह किया हो या विवाह करने की संविदा की हो, या

(ख) जिसने एक पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह करने की संविदा की हो,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य कारण भी है तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने का अधिकार :—यदि केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या न्यायोचित हो तो वह इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी श्रेणी या कोटि के व्यक्तियों के लिए शिथिल करने का आदेश दे सकती है।

7 व्यावृत्ति :—इन नियमों में की गयी किसी व्यवस्था से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य विशेष कोटियों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में शिथिलता तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है अथवा गैर-प्रवरण पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	क्या भा०रे०स्था० (सहिता 1) के नियम 2423-क (जी०एस०आर० 404 ख) के अन्तर्गत सेवा के वर्षों में वृद्धि का लाभ अनुमेय है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	6क	7
सहायक हिन्दी अधिकारी	56* (1981) *कार्य-भार के आधार पर इसमें कमी-बेशी हो सकती है।	समूह 'ख' राजपत्रित	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	प्रवरण	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी :—आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो भारत में रहने वाले उम्मीदवारों (अंडमान, निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के अलावा) से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।	नहीं	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी स्नातकोत्तर उपाधि और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक विषय रहा हो अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि और स्नातक स्तर पर हिन्दी एक विषय रहा हो अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और स्नातक स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी विषय रहे हों अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि और स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। (ii) हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली के कार्य, और/अथवा अंग्रेजी से हिन्दी अथवा हिन्दी से अंग्रेजी के अनुवाद कार्य अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का, 3 वर्ष का अनुभव। अथवा हिन्दी में अध्यापन, अनुसंधान लेखन या पत्रकारिता का 3 वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के स्वविवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय हैं।

1	2	3	4	5	6	6क	7
							टिप्पणी 2 : प्रवरण के किसी चरण पर यदि संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों में से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो उनके मामले में संघ लोक सेवा आयोग के स्वविवेक पर अनुभव संबंधी अर्हता शिथिलनीय है । वांछनीय . (i) संस्कृत और/या अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान । (ii) टिप्पण और प्रारूप लेखन के लिए हिन्दी कक्षाएं अथवा कार्यशालाएं चलाने का अनुभव । (iii) प्रशासकीय अनुभव ।

क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु-सीमा तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की विधि, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होती हो तो वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है ?	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए . संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	हिन्दी संगठन के समूह 'ग' कर्मचारियों के चयन (इसमें साधारणतः एक लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा शामिल है) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा चयन सामान्यतः न्यूनतम 425 रु० के संशोधित वेतनमान के ग्रेड और उच्चतर समूह 'ग' ग्रेडों के पदों पर नियमित आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों में से किया जायेगा बशर्ते कि उन्होंने न्यूनतम 3 वर्ष की न्यूनतम अभाकस्मिक सेवा पूरी कर ली हो और 580 रु० के चरण को पार कर लिया हो। टिप्पणी:—जब सरकार यह समझे कि उपर्युक्त कोटियों से चयन का एक पर्याप्त क्षेत्र नहीं बनता तो वह उस ग्रेड	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति. 1. निदेशक (राजभाषा) 2. मुख्य राजभाषा अधिकारी (वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक से भिन्न) और 3. मुख्य कार्मिक अथवा कार्मिक अधिकारी यदि मुख्य कार्मिक अधिकारी ही मुख्य राजभाषा अधिकारी के रूप में कार्य कर कर रहे हों तो कोई अन्य विभागाध्यक्ष को नामित किया जायेगा यदि उपर्युक्त तीनों अधिकारियों में से कोई भी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित न हो तो कोई	सीधी भर्ती करते समय और इन नियमों के किसी भी उपबंध में संशोधन करते समय/ शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।

8	9	10	11	12	13
			जिसका न्यूनतम वेतनमान 425 रु० है, के कर्मचारियों के लिए अर्हक सेवा घटाकर 2 वर्ष या एक वर्ष की अनाकस्मिक सेवा, जो रेल मंत्रालय आवश्यक समझे, कर सकती है । टिप्पणी 2:—यदि संबद्ध न्यूनतम सेवा शर्तों को पूरा करने के कारण किसी कनिष्ठ कर्मचारी को चयन के लिए बुलाया जाता है तो उससे वरिष्ठ सभी व्यक्तियों को स्वतः ही पात्र माना जाये चाहे वे संबंद्ध न्यूनतम सेवा शर्तों को पूरा करते हों या नहीं । टिप्पणी 3:— चयन के प्रयोजनार्थ, पूर्व, पूर्वोत्तर दक्षिण रेलों को छोड़कर जिनके साथ नीचे दिये अनुसार उत्पादन इकाइयां संबद्ध की जायेंगी, प्रत्येक रेलवे एक पृथक और और स्वंतत्र इकाई होगी :— चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना पूर्व-रेलवे डीजल रेल इंजन कारखाना—पूर्वोत्तर रेलवे सवारी डिब्बा कारखाना—दक्षिण रेलवे	चौथा अधिकारी, जो इनमें से किसी भी समुदाय का हो और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से कम के पद का न हो विभागीय पदोन्नति समिति में सहयोजित किया जाय ।	

[सं० 79/ई (जी० आर०) 1/24/4]

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 28th November, 1981

G.S.R. 24—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indian Railway (Assistant Hindi Officer) Recruitment Rules, 1974 except in respect of things done or omitted to be done, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Hindi Officers on the Indian Railways, namely :—

1. Short Litle and Commencement.—(1) These rules may be called the Indian Railways (Assistant Hindi Officer) Recruitment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. Application.—These rules shall apply to the posts of Assistant Hindi Officers on the Indian Railways as specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

4. Number, classification and scales of pay.—The number of posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

5. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limits, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

6. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax:—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

8. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations relaxation, of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of person in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 2423-A (CSR 404 B) of the Indian Railway Establishment Code Volume II.	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6a	7
Assistant Hindi Officer.	56 (1981) subject to variation dependent on work-load	Group 'B' Gazetted	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Not exceeding 30 years (Relaxable upto 5 years for Government servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar-Islands and Lakshadweep).	No.	Essential : (i) Master's Degree of a recognised University in Hindi with English as a subject at the degree level, OR Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a subject at the degree level, OR Master's degree of a recognised University in any subject with Hindi and English as subject at the degree level, OR Master's degree of a recognised University in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level. (ii) 3 years' experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi or *vice versa*, preferably of tech-

1	2	3	4	5	6	6a	7
							nical or scientific literature, OR 3 years' experience of teaching, research, writing or journalism in Hindi. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Pubic Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if , at any stage of selection, the Union Public Service Com mission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Knowledge of Sanskrit and/or other Indian languages. (ii) Experience of organising Hindi classes or workshops for noting and drafting. (iii) Administrative experience.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P. S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
No.	2 years	By promotion through selection failing which by direct recruitment.	By promotion through selection (which will include ordinarily a written test and also a viva voce test) of Group 'C' staff of Hindi Organisation. The selection will normally be made from staff holding posts in	Group 'B' Departmental Promotion Committee: 1. Director (Official Language) ; 2. Mukhya Rajbhasha Adhikari (other than Senior Deputy Genral Manager);	Union Public Service Commission shall be consulted while making direct recruitment and amending/relaxing any of the

11	12	13
the grade the minimum of which is Rs. 425/- in the revised scale and in higher Group 'C' grades on a regular basis provided that they have rendered a minimum of 3 years' non-fortuitous service and have reached the stage of Rs. 560/-. Note 1 : When it is considered by the Government that the above categories would not constitute an adequate field of choice, qualifying service of the staff in the grades, the minimum of which is Rs. 425/- may be reduced to 2 years' or one year's non-fortuitous service as considered necessary by the Mistry of Railways. Note 2 : In case a junior employee is called up for a selection by virtue of his satisfying the relevant minimum service conditions, all his seniors should be held to be automatically eligible irrespective of whether or not they satisfy the relevant minimum service conditions. Note 3 : For purposes of selection, each Railway will be a separate and independent unit except the Eastern, North Eastern and Southern Railways to which the Production Units will be attached as shown below : Chittaranjan Locomotives Works—Eastern Railway. Diesel Locomotive Works—North Eastern Railway Integral Coach Factory—Southern Railway.	and 3. Chief Personnel Officer or Additional Chief Personnel Officer. In case the Chief Personnel Officer of Additional Chief Personnel Officer is functioning as Mukhya Rajbhasha Adhikari, another Head of Department or Additional Head of Department shall be nominated. If none of the three above officers belongs either to the Scheduled Castes or to Scheduled Tribes, a fourth officer belonging to either of these community and holding a rank not lower than Junior Administrative Grade has to be co-opted with the Departmental Promotion Committee.	provisions of the rules.

[No. 79/E (GR)I/24/4]

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1981

सा० का० नि० 25:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रेल कार्मिक शाखा, सहायक कार्मिक अधिकारी (श्रेणी 2) भर्ती नियम, 1965 के अतिक्रमण में कृत्याकृत्य को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारतीय रेलों के कार्मिक विभाग में समूह 'ख' के पदों की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—(1) ये नियम भारतीय रेल कार्मिक विभाग, समूह 'ख' पद भर्ती नियम 1981 कहलायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट भारतीय रेलों के कार्मिक विभाग में समूह 'ख' पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—उल्लिखित पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उल्लिखित पदों के लिए भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D.)-73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 10, 1976/आषाढ़ 19, 1898

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 10, 1976/ASADHA 19, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली 22, जून 1976

सा० का० नि०. 988.—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 की छठी अनुसूची के पैरा 3 के उपपैरा (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, श्रेणी 1 (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा श्रेणी 1 (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) तृतीय संशोधन विनियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, श्रेणी 1 (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1974 के विनियम 4 के खण्ड (1) के परन्तुक में "परन्तु" शब्दों के स्थान पर "परन्तु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे और इस प्रकार संशोधित उस परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"परन्तु यदि वह प्रतियोगिता परीक्षा, जिसके अन्तर्गत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा भी सम्मिलित है, के परिणाम पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी -2 के लिए नियुक्त किया गया हो, तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से पांच वर्ष से अन्यून पूर्व घोषित किए जाने चाहिए और उसे उस श्रेणी में कम से कम चार वर्ष अनुमादित और लगातार सेवा पूरी कर लेनी चाहिए ।"

[संख्या 12/7/76-सी० एस०-II]

के० बी० नायर, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 22nd June, 1976

G.S.R. 988.—In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 3 of the Sixth Schedule to the Central Secretariat Stenographers' Service Rules, 1969, the Central Government

Whether age and Educational qualifications prescribed if any for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment-whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age : No. Educational qualification : Yes	2 years	By promotion, failing which by direct recruitment.	Laboratory Attendant with five years' service in the grade who possesses educational qualification mentioned in column 7.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

[No. 33(4)/74-MS]

S. N. ROY CHOUDHURY, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 19 जून, 1976

सा०का०नि० 1010.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल में हिन्दी अधिकारी, वर्ग I के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम भारतीय रेल (हिन्दी अधिकारी) भर्ती नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) में हिन्दी अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
हिन्दी अधिकारी	8	समूह 'क'	1100-50-1600	चयन	40 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।	आवश्यक : (1)(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में या, उपाधि स्तर पर वैकल्पिक/अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी सहित, अंग्रेजी में मास्टर की उपाधि या समतुल्य (ख) संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर वैकल्पिक/अनिवार्य विषयों के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी सहित, संस्कृत में मास्टर की उपाधि या समतुल्य। (2) हिन्दी में शब्दावली संबंधी कार्य और/या अंग्रेजी हिन्दी में तथा हिन्दी से अंग्रेजी में, अधिमान्यतः तकनीकी और वैज्ञानिक साहित्य के, अनुवाद कार्य का 7 वर्ष का अनुभव। (अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं, विशेष रूप से अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, उनके लिए अनुभव संबंधी आरक्षित पदों के लिए शिथिलनीय है)। वांछनीय : (1) टिप्पण और प्रारूपण तैयार करने के लिए हिन्दी कक्षाएं या कर्मशालाएं चलाने का अनुभव। (2) प्रशासनिक अनुभव। (3) किसी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: ऐसे सहायक हिन्दी अधिकारी, जिन्होंने नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् 8 वर्ष की सेवा की हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— अध्यक्ष :—संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य। सदस्य : 1. निदेशक, स्थापना, रेल मंत्रालय 2. निदेशक (राज भाषा) रेल मंत्रालय।	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन यथापेक्षित

[सं० 76/ई (बी आर) 1/24/1]

बी० मोहन्ती, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 19th June, 1976.

G.S.R. **1610**.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hindi Officer, Class I, on the Indian Railways, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Railway (Hindi Officer) Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification :—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Hindi Officer in the Ministry of Railway (Railway Board)

Name of post	No. of Post	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Hindi Officer	8	Group A	Rs. 1100-50-1600	Selection	Not exceeding 40 yrs. (Relaxable for Govt. servants) Note : The crucial date of determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) (a) Master's degree of a recognised University or equivalent in Hindi or in English with Hindi as an elective/compulsory subject at degree level. (b) Adequate grounding in Sanskrit. OR Master's degree of a recognised University or equivalent in Sanskrit with Hindi and English as elective / compulsory subjects at the degree level. (ii) 7 years' experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi and vice versa preferably of technical and scientific literature. (Qualifications relaxable at the discretion of the union public service Commission in case of candidates otherwise wel qualified in particular the qualifications regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes for posts reserved for them.) Desirable : (i) Experience of organising Hindi classes or workshops for noting and drafting. (ii) Administrative experience. (iii) Knowledge of any other modern Indian Language.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and %age of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
No.	2 years	50% by promotion failing which by direct recruitment and 50% by direct recruitment.	Promotion : Assistant Hindi Officers with 8 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of —Chairman : Member of the Union Public Service Commission. Members : 1. Director, Establishment, Ministry of Railways. 2. Director, (Official Language), Ministry of Railways.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations, 1958).

[No. 76/E(GR)1/24/1]

B. MOHANTY, Secy.

रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D.(D.)-73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 5, 1978/श्रावण 14, 1900

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 5, 1978/SRAVANA 14, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1978

सा० का० नि० 970.—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब सहबद्ध महाविद्यालय (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 1974 (1974 का पंजाब अधिनियम 23) का, जैसा कि वह इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में प्रवृत्त है, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर, निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन रहते हुए विस्तार करती है, अर्थात् :—

उपान्तर

1. पूरे अधिनियम में, जहां कहीं "राज्य सरकार" शब्द आए हैं, उनके स्थान पर "प्रशासक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

2. धारा 1 में,—

(क) उपधारा (2) में, "पंजाब राज्य" शब्दों के स्थान पर "चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो प्रशासक, चण्डीगढ़ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।"

3. धारा 2 में,—

"(क) खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खण्ड के पहले निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) खण्ड (ख) में, 'पंजाब' शब्द के लिए 'चण्डीगढ़ प्रशासन' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

4. धारा 10 में, 'इसे' शब्द के स्थान पर 'उसे' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

5. धारा 12 में,—

(क) उपधारा (1) में, "शासकीय राजपत्र" शब्दों के स्थान पर, "चण्डीगढ़ राजपत्र" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

उपाबन्ध

पंजाब सहबद्ध महाविद्यालय (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1974 (1974 का पंजाब अधिनियम 23), जैसा कि उसका चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार किया गया है ।

सहबद्ध महाविद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा के लिए उपबन्ध करने के लिए ।

Asstt. Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication

होने की संभावना नहीं है तो अनुभव संबंधी अर्हताओं में संघ लोक सेवा आयोग के स्वविवेक पर ढील दी जा सकती है।

वांछनीय :

(1) संस्कृत और/अथवा किसी अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान।

(2) हिन्दी कक्षाएं तथा टिप्पण तथा मसौदा लेखन के लिए कार्यशालाओं की व्यवस्था करने का अनुभव।

(3) प्रशासनिक अनुभव।

[सं० 76/ई (जी आर) I/24/1]

पी० एन० मोहिले, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

New Delhi, the 18th July, 1978

G.S.R. 983.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Railways (Hindi Officer) Recruitment Rules 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Hindi Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Railways (Hindi Officer) Recruitment Rules, 1976 under column 7, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"Essential :

(i) Master's degree of a recognised University or equivalent in Hindi with English as a subject or in English with Hindi as a subject at degree level.

OR

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi and English as elective subjects at degree level.

OR

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at degree level.

(ii) 7 years experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi and vice versa preferably of technical and scientific literature."

Note 1 :

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 :

The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable :

(i) Knowledge of Sanskrit and/or other Indian languages.

(ii) Experience of organising Hindi classes or workshops for noting and drafting.

(iii) Administrative experience.

[No. 76/E(GR)I/24/1]

P. N. MOHILE, Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1978

सा० का० नि० 984.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशिक्षण निदेशालय (केन्द्रीय अनुदेशक, प्रशिक्षण संस्थान का एकक और उससे संबद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान : केन्द्रीय कर्मचारिवृन्द प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, कलकत्ता) वर्ग 3 पद भर्ती नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रशिक्षण निदेशालय (केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान का एकक और उससे संबद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय कर्मचारिवृन्द प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, कलकत्ता) वर्ग 3 पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रशिक्षण निदेशालय (केन्द्रीय अनुदेशक शिक्षण संस्थान का एकक और उससे संबद्ध आदर्श शिक्षण संस्थान, केन्द्रीय कर्मचारिवृन्द प्रशिक्षण, और अनुसंधान संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, कलकत्ता) वर्ग 3 पद नियम, 1974 की अनुसूची में (फोटोग्राफर) एवं डेवलपर के पद से संबद्ध मद 13 के सामने—

(1) स्तम्भ 3 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"साधारण केन्द्रीय सेवा
समूह ग पद
(अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय)"

(2) स्तम्भ 4 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"425-15-500-द० रो०-15-560-20-700 रु०"

(3) स्तंभ 7 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"4 व्यवसाय प्रमाणपत्र या समतुल्य।".

[संख्या म० नि० रो० प्र० 12 (3)/78-टी० ए०]

द० दास चोफला, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 22nd July, 1978

G.S.R. 984.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Training (the unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto ; the Central Staff Training and Research Institute and the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Calcutta) Class III Posts Recruitment Rules, 1974.

1. (1) These Rules may be called the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto ; the Central Staff Training and Research Institute and the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Calcutta) Class III posts Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto ; the Central Staff Training and Research Institute and the Regional Directorate of Apprenticeship Training) Class III posts

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India

8	9	10	11	12	13
			with at least 2 years experience in Cash and Accounts work or Lower Division Clerks of Central Secretariat Clerical service with 8 years' regular service in the grade and having at least 2 years' experience in cash and Accounts work (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).		

[No. DOD/44/Estt-3/82]

S.A.H. ABIDI, Principal Scientific Officer,

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 9 अगस्त 1984

सा. का. नि. 930.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारतीय रेल (हिन्दी अधिकारी) भर्ती नियम 1976 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) ये नियम भारतीय रेल (हिन्दी अधिकारी) भर्ती (संशोधित) नियम 1984 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

भारतीय रेल (हिन्दी अधिकारी) भर्ती नियम 1975 की अनुसूची के कालम 6 के इन्दराज के कोष्ठक एवं शब्दों के लिए "सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट" को निम्नलिखित कोष्ठक एवं, शब्दों और संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात "केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय"

[84/ई (जी आर) I/24/1]

आर. रामानाथन, संयुक्त निदेशक,
स्था० रा० (भ०)

क्र. सं. अधिसूचना सं. और दिनांक

1. सं. 76/ई (जीआर) 1/24/1/19-6-1976 (मुख्य नियम)
2. सं. 76/ई (जीआर) 1/24/1/19-7-1978 (संशोधित)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 9th August, 1984

G.S.R. 930.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Railways (Hinli Officer) Recruitment Rules, 1976, namely :—

(1) These rules may be called the Indian Railways (Hindi Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Schedule to the Indian Railways (Hindi Officer) Recruitment Rules 1976 in the entry under column 6 for the brackets and worls "(Relaxable for Government Servants)" the following brackets and words and figure shall be substituted, namely :—

"(Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)".

[84/E(GR)/I/24/1]

R. RAMANATHAN, Jt. Director, Estt. G(R)

S. No. Notification No. & Date.

1. No. 76/E(GR)/24/1 19-6-1976 (Principal Rules)
2. No. 76/E(GR)1/24/1 19-7-1978 (Amendment)

Asstt Controller (Business)
Govt of India
of Publication

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1984

सा०का०नि० 931.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रोजगार निदेशालय रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (समूह "क" और "ख" पद) भर्ती नियम 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम, बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रोजगार निदेशालय रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती संशोधन) नियम 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रोजगार निदेशालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम 1961 की अनुसूची में "समूह 'ख' पद" शीर्षक के अधीन ज्येष्ठ अन्वेषक/योजना सहायक के पद से संबंधित (1) मद सं० 4 के सामने स्तम्भ 6 में "(सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित कोष्ठक शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)"

(2) होलरिथ सुपरवाइजर के पद से संबंधित मद सं० 5 के सामने स्तम्भ 6 में "(सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे अर्थात् :—

"(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)";

(3) ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक पद से संबंधित मद सं० 7 के सामने स्तम्भ 6 में "(सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित कोष्ठक शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)";

रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, सोमवार जनवरी 30, 1995/माघ 10, 1916
No. 34] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 1995/MAGHA 10, 1916

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी, 1995

सा.का.नि. 46(अ).—संविधान की धारा 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारतीय रेलों में उप मुख्य राजभाषा अधिकारी के चयन की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों को भारतीय रेल (उप मुख्य राजभाषा अधिकारी) भर्ती नियम, 1994 कहा जाएगा.

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे.

2. पदों की संख्या वर्गीकरण तथा वेतनमान : उक्त पदों की संख्या इसका वर्गीकरण तथा पदों से संबंधित वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट विवरण के अनुसार होगा.

3. भर्ती की प्रक्रिया, आयु सीमा, अर्हताएं इत्यादि : उक्त पद की भर्ती की प्रक्रिया, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट विवरण के अनुसार होंगी.

4. अनर्हता : कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका कोई पति/पत्नी जीवित हो, विवाह किया हो या विवाह करने की संविदा की हो, अथवा

(ख) जिसने एक पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह करने की संविदा की हो,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है.]

5. छूट देने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या कालोचित हो तो वह इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध से किसी श्रेणी या कोटि के व्यक्तियों को छूट देने का आदेश दे सकती है

6. व्यावृत्ति. इस संबंध मे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियो अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष कोटियों के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7. व्याख्या : इन नियमो की व्याख्या के संबंध में कोई भी प्रश्न उठने पर उसे केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा जो इस बारे में निर्णय करेगी.

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है अथवा गैर-प्रवरण पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	क्या सेवा वर्षों में वृद्धि का लाभ अनुमेय है
1	2	3	4	5	6	7
उप मुख्य राजभाषा अधिकारी	5 *(1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	3700-125-4700-5000 रु.	प्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयुसीमा तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो,	भर्ती की विधि सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होती हो तो वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी सरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
8	9	10	11	12	13	14
लाग नहीं होता	लागू नही होता	लागू नही होता	पदोन्नति	पदोन्नति. (3000-4500 रु. के वेतनमान में) वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा. नोट : जहां कनिष्ठ अधिकारियों ने सेवा की अर्हक पात्रता पूरी कर ली है और उनकी पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो तो उस स्थिति में उनसे वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति का मौका दिया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अवधि में अपेक्षित अर्हक पात्रता सेवा में एक वर्ष से अधिक की कमी न हो तथा परिवीक्षा की अवधि, यदि निर्धारित की गई हो, सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो.	समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिति :— 1. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड-अध्यक्ष वित्त आयुक्त (रेलें)—सदस्य 3. रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्य-सदस्य	सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नही

[फा. सं. 94ई (जी सी)/आर आर-हिंदी (जे एजी)

एस. ए. ए. जैदी, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 1995

G.S.R. 46 (E) :—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Chief Rajbhasha Adhikari in the Indian Railways, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Indian Railway (Deputy Chief Ralbhasha Adhikari) Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, qualifications etc. :—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification :— No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Interpretation :—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Deputy Chief Rajbhasha Adhikari	5* (1994) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazeted.	Rs. 3700-125-4700-150-5000.

Whether selection post or non-selection post	Age limit for-direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational and other qualifications required for direct recruits
5	6	7	8
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
9	10	11
Not applicable	Not applicable	Promotion

In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Promotion : Senior Rajbhasha Adhikari (Scale of Rs. 3000-4500) with five years' regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors will also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than one year and have successfully completed the period of probation if prescribed.	Group 'A' Departmental Promotion Committee :— 1. Chairman, Railway Board —Chairman 2. Financial Commissioner, Railways —Member 3. Other Members of Railway Board —Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 94E(GC)RR-Hindi (JAG)]
S.A.A. ZAIDI, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995